



इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

7, रेसकोर्स, रोड, इन्दौर (म.प्र.)

विज्ञप्ति क्र. : 163

दिनांक : 03.07.2025

योजना क्रमांक 103 में नवनिर्मित बहुमंजिला भवन “पलाश” में 34 आवासीय उपयोग के (2 BHK & 3 BHK) प्रकोष्ठों को भू-स्वामी अधिकार पर नियत मूल्य पर कम्प्यूटर द्वारा लाटरी पद्धति से व्ययन करने हेतु ऑनलाईन (Online) आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। प्रकोष्ठों का विवरण निम्नानुसार है-

अ.क्र.	प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ की संख्या	आरक्षण श्रेणी	सुपर बिल्टअप एरिया व.मी.में	कारपेट एरिया व.मी.में	प्रकोष्ठ की नियत मूल्य रु. लाख में	पंजीयन राशि रु. लाख में
1	2-BHK	19	आवेदन फार्म में संलग्न सूची अनुसार	130.38 से 131.90	70.40 से 72.20	63.27 से 65.42	7.00
2	3-BHK	15		177.01 से 188.62	97.00 से 101.40	85.89 से 91.53	10.00

लॉटरी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी महत्वपूर्ण दिनांक एवं समय

अ.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र कय करने की आरम्भ दिनांक एवं समय	10-07-2025	14:00 hrs.
2	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र कय करने एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	31-07-2025	18:00 hrs.
3	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर खोलने का दिनांक एवं समय	01-08-2025	11:30 hrs Onwards
4	पात्र आवेदकों की कम्प्यूटर के माध्यम से लॉटरी करने का दिनांक एवं समय	11-08-2025	12:30 hrs

नोट :-

- ❑ लॉटरी के आवेदन प्राधिकारी की वेबसाइट <https://www.idaindore.org> पर देखे एवं भरे जा सकते हैं।
- ❑ लॉटरी में भाग लेने हेतु आवेदन प्रस्तुतकर्ता पंजीयन राशि का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस के माध्यम से कर सकेगा।
- ❑ आवेदनकर्ता को प्रकोष्ठों के चयन ऑनलाईन करना होगा तथा आधार कार्ड, पेन नंबर, निविदा प्रपत्र एवं सभी डाक्यूमेंट की प्रति स्कैनिंग करके ऑनलाईन अपलोड करना होगी।
- ❑ लॉटरी पद्धति में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किया जायेगा, जिसे पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।
- ❑ सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि (अमानत राशि सहित) आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि में जमा कराना होगी एवं शेष 75 प्रतिशत राशि आगामी 3 माह की अवधि में अर्थात् आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 4 माह की अवधि में जमा कराना होगी। निर्धारित समयावधि में प्रीमियम की राशि जमा न करने पर व्ययन नियम, 2018 के नियम 12 अनुसार संपत्ति की निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।
- ❑ आवेदक आवेदन करने से पूर्व मौका निरीक्षण कर प्रकोष्ठ का अवलोकन कर आवेदन करें एवं पूर्ण संतुष्ट होने पर ही आवेदन करें। प्रकोष्ठ का कब्जा यथास्थिती में दिया जावेगा।
- ❑ तल मंजिल पर वाहन पार्किंग, भूमिगत व उच्चस्तरीय पानी की टंकी, नर्मदा लाईन से जलप्रदाय की व्यवस्था, प्रवेश द्वार पर सुरक्षा चौकी की सुविधा।
- ❑ योजना अंतर्गत प्रथम कब्जा दिनांक से 2 साल की संधारण अवधि हेतु निविदा प्रपत्र अनुसार संधारण राशि जी.एस.टी सहित जमा करना होगी।
- ❑ योजना का रेरा रजिस्ट्रेशन क्रमांक P-IND-19-2071 है।
- ❑ प्राधिकरण को आवेदन स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

लोकेशन हेतु स्कैन करें



मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

अधिक जानकारी के लिये मार्केटिंग सेल (मो.नं. 98936-99113) पर सम्पर्क करें
अथवा प्राधिकरण की वेबसाइट www.idaindore.org पर देखें।